

# कार्यालय जलकल विभाग, नगरनिगम, वाराणसी

## कार्यालय ज्ञाप

माननीय महापौर महोदय द्वारा जलकर, जलमूल्य एवं सीवर कर के बकायेदारों को एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत बकाया धनराशि जमा करने पर सरचार्ज की छूट का लाभ दिनांक 24-09-2015 से 30-09-2015 तक प्रदान की गयी है ।

अतः तदनुसार इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए बकायेदारों को सरचार्ज की छूट प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक बकायेदारों से धनराशि जमा कराई जाये ।

महाप्रबन्धक

पृ०सं०- ५७४/१/१०५० न०११०  
प्रतिलिपि-

दिनांक- २५/९/१५

- 1- मा० महापौर महोदय को उनके अनुमोदन के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- समस्त अधिशासी अभियंता
- 4- वित्त अधिकारी
- 5- समस्त लेखाकार
- 6- समस्त वसूली कर्मचारी
- 7- समस्त डिमाण्ड लिपिक
- 8- आदेश पुस्तिका

महाप्रबन्धक